10 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(94)

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक /2012 निगरानी — R 3627-I/12

बालकृष्ण शर्मा पुत्र श्री हरिकृष्ण शर्मा
निवासी वार्ड क्र.–11 सीटोला मुहल्ला
कस्वा भाण्डेर जिला दतिया म.प्र.

————आवेदक

विरूद्ध

1. राधाकृष्ण शर्मा पुत्र श्री हरिकृष्ण शर्मा
2. श्री कृष्ण शर्मा हरिकृष्ण शर्मा
निवासीगण–सीटोला मोहल्ला कस्वा
भाण्डेर जिला दतिया म.प्र.
3. म.प्र. शासन ————अनावेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि. 22/8/12 प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
22/8/12

न्यायालय तहसीलदार परगना भाण्डेर के प्रकरण क्रमांक 14/अ–6/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 5–1–2012 के विरूद्ध निगरानी अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भूराजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है–

1. यह कि आवेदक बालकृष्ण के पिता हरिकृष्ण के नाम हसापुर में सर्वे नं. 177 रकवा 2.62 हैक्टेयर भूमि का 1/2 भाग की भूमि थी उक्त भूमि के सबंध में श्री हरिकृष्ण शर्मा के द्वारा दिनांक 22/11/2011 को पंजीकृत दान पत्र आवेदक के पक्ष में निष्पादित किया था और दान पत्र के आधार पर आवेदक का नामांतरण राजस्व अभिलेख में किये जाने बावत शपथ–पत्र भी दिया था इस प्रकार हरिकृष्ण शर्मा के द्वारा अपने जीवनकाल में उपरोक्त भूमि के संबंध में अपना स्वत्व आवेदक के पक्ष में अंतरित कर दिया था.

Belapurkar 22-8-12

2. यह कि उक्त दान पत्र के आधार पर आवेदक अपना नाम हरिकृष्ण के स्थान पर करा पाने का कानूनन अधिकारी है और इसी कारण मौजा पटवारी द्वारा विधिवत दान पत्र के आधार पर नामांतरण हेतु नामांतरण पंजी में प्रविष्टि दर्ज कर स्तहार जारी किये जाने की प्रक्रिया अपनाई.

3. यह कि उक्त दान पत्र के आधार पर आवेदक का नाम नामांतरण किये जाने की प्रविष्टि को दिनांक 29/12/2011 को तहसीलदार महोदय द्वारा विधिवत् प्रमाणित किया गया उक्त प्रविष्टि को किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी चुनौती नही दी गई.

शाखा प्रभारी (रा.मं.) ग्वालियर

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–3627–एक/2012 जिला–दतिया

बालकृष्ण शर्मा विरूद्ध राधाकृष्ण आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
31–05–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार परगना भाण्डेर, जिला–दतिया के प्रकरण क्रमांक 14/अ–6/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 05–01–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर दतिया, जिला–दतिया के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 22–07–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 31/5/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	